

By:- Suwita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

B.A. History

Date: 20/11/2021
Page: 1
Paper: VIII

भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शन का परीक्षण
(The philosophy in the formation of Indian Constitution)
भारत के संविधान का मौलिक दर्शन हमें संविधान की
प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना इस प्रकार है:-

“हम, भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रविष्टि और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली कठिनाई बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् 2007 विक्रमी के सन्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

इस प्रकार भारतीय संविधान में निहित दर्शन जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है वास्तव में इस युग के राजनीतिक दर्शन - कल्याणकारी राज्य की और उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दर्शन के अनुरूप था, जिससे संविधान का निर्माण किया गया।

सामाजिक-आर्थिक आधार

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीयों में यह विकास हो गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतः देश की सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगी लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सारी सामाजिक और आर्थिक कुशकियों का हल नहीं हो सका।

2. राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद, प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कनिष्ठ मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति को घोषणा करता है। ये उद्देश्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हैं। चूंकि प्रजातंत्र का मौलिक आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसलिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का दूसरा उद्देश्य बताया गया है। नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देने के बाद प्रस्तावना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी नागरिकों को प्राप्त करती है।

3. संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता जनता के आर्थिक उत्थान और उनकी दृष्टि में सुधार के लिए संविधान का एक शक्तिशाली यत्न बताते के लिए प्रयत्नशील थे। साथ ही, सम्पूर्ण संविधान से यह आभास मिलता है कि वे प्रजातंत्र एवं विधि के शासन को अवश्य मानते थे। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक कार्यों पर समाव रूप जोर दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया है कि श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शान्ति का तथा बच्चों की पुरुषता का भी दुर्लभ उपयोग नहीं अतः ऐसी परिस्थितियों विरोध किया जाय।

4. संविधान के अनुसार, भारत में धर्म, जाति वर्ण, उन्नत्य, कुल, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक के सामर्थ्यभाव नहीं कर सकते।